

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यू.आई.डी संख्या : UPFS/2024/137114/DER/DEORIA/1320/CFO

दिनांक : 20-11-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ST. XAVIERS SCHOOL पता 4, 5, 9, BHATWA, DHARMPUR, DEORIA तहसील - SALEMPUR प्लॉट एरिया 3940.90 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 8151.60 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	13.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ST. XAVIERS SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 22-11-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ABHINAV NATH TIWARI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 23-11-2024 से 23-11-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ST. XAVIERS SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ST. XAVIERS SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।

- 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 01 वर्ष में न्यूनतम 02-बार फायर आडिट कराकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2-भवन/प्रतिष्ठान में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था/उपकरणों में किसी प्रकार का छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 3-भवन/प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
- 4-अतिरिक्त भवन निर्माण/ अधिभोग हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
- 5-प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा तथा किसी भी दशा में लॉक नहीं किया जायेगा।
- 6-शा0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-11-2024
स्थान : DEORIA



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Arun Kumar

63F826DE50AA10615D7E0C8F7CC174FE0F456B9D

23-11-2024

Note - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.